



बिहार सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग।
संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना।

अल्कालीन निविदा सूचना

सं० 06 / 2020-21

- विभाग का नाम : पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार।
- विज्ञापनदाता का नाम एवं पता : निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना।
- परिमाण विपत्र के बिक्री की अंतिम तिथि एवं समय: 22-02-2021 को 2.00 बजे अपराह्न तक।
- निविदा जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय : 22-02-2021 को 4.00 बजे अपराह्न तक।
- निविदा खोलने की तिथि एवं समय: 23-02-2021 को 3.00 बजे अपराह्न।

क्रम सं०	निविदा का विवरण।	अग्रधन की राशि	जमानत राशि	परिमाण विपत्र का मूल्य	निविदा की अवधि
1	संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना की पुरानी झील के निकट अवस्थित मध्यूर रेस्टरॉँ के ग्राउन्ड फ्लोर (निचले तल्ले) पर स्थित दो फुड काउन्टरों को एक इकाई (यूनिट) के रूप में संचालन हेतु बन्दोबस्ती।	रु० 50,000/- (पचास हजार रुपये)	एक वर्ष के कुल मासिक रेंट की पचीस प्रतिशत राशि।	रु० 2000/ (रुपये दो हजार) प्रति।	01-03-2021 से 28-02-2023 (दो वर्ष)

निविदा से संबंधित विस्तृत जानकारी एवं निविदा प्रपत्र निदेशक कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है एवं वेबसाईट www.forest.bih.nic.in/www.zoopatna.com पर देखा जा सकता है।

निदेशक,
संजय गाँधी जैविक उद्यान,
पटना।

भ्रष्टाचारी के दबाव में मत रहें, निगरानी विभाग से मिलकर कहें।

संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना की पुरानी झील के निकट अवस्थित मध्यूर रेस्टरॉन्ट के ग्राउन्ड फ्लोर (निचले तल्ले) पर स्थित दो फुड काउन्टरों को एक इकाई (यूनिट) के रूप में संचालन के लिए बन्दोबस्ती हेतु निविदा शर्तें।

संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना की पुरानी झील के निकट मध्यूर रेस्टरॉन्ट के ग्राउन्ड फ्लोर (निचले तल) पर दो फुड काउन्टर्स वर्तमान में अवस्थित हैं। ग्राउन्ड फ्लोर पर अवस्थित इन दोनों फुड काउन्टरों पर विभिन्न प्रकार के खाद्य सामग्री, फल, ड्राई फ्रूट्स इत्यादि की बिक्री एवं संचालन के लिए एक इकाई (यूनिट) के रूप में संचालन के लिए बन्दोबस्ती हेतु विहित प्रपत्र में मुहरबंद निविदायें निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान पटना के पदनाम से दिनांक 22-02-2021 के 4.00 बजे अपराह्न तक आमंत्रित की जाती है जिसका विवरण निम्नवत् हैः—

क्रम सं०	निविदा का विवरण।	अग्रधन की राशि	जमानत राशि	परिमाण विपत्र का मूल्य	निविदा की अवधि
1	संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना की पुरानी झील के निकट अवस्थित मध्यूर रेस्टरॉन्ट के ग्राउन्ड फ्लोर (निचले तल्ले) पर स्थित दो फुड काउन्टरों को एक इकाई (यूनिट) के रूप में संचालन हेतु बन्दोबस्ती।	रु० 50,000/- (पचास हजार रुपये)	एक वर्ष के कुल मासिक रेंट की पचीस प्रतिशत राशि।	रु० 2000 / (रुपये दो हजार) प्रति।	01-03-2021 से 28-02-2023 (दो वर्ष)

2. निविदाकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि निविदा समर्पित करने से पूर्व वे स्थल का निरीक्षण स्वयं कर लें।

3. प्राप्त निविदायें दिनांक 23-02-2021 को अपराह्न 3.00 बजे निविदा समिति द्वारा निविदाकर्ताओं के समक्ष खोली जायेगी। तकनीकी बिड में सफल निविदाकर्ताओं का ही वित्तीय बिड खोला जाएगा। निविदा खोलने के समय यदि कोई निविदाकर्ता / उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित नहीं होते हैं, तब भी निविदा मान्य समझा जायेगा।

4. निविदा के निर्धारित प्रपत्रों एवं शर्तों की प्रति निदेशक के कार्यालय से रुपये 2000/- (दो हजार) प्रति की दर से दिनांक 22-02-2021 के 2.00 बजे अपराह्न तक कार्यालय कार्यावधि में प्राप्त किये जा सकता है। वैसे व्यक्ति जो निर्धारित प्रपत्रों एवं शर्तों को वेबसाईट से डाउनलोड कर निविदा समर्पित करते हैं, उन्हें निविदा प्रपत्र की राशि के रूप में प्रत्येक यूनिट के लिए रु० 2000/- (दो हजार) का राष्ट्रीयकृत बैंक का डिमांड ड्राफ्ट तकनीकी बिड के साथ संलग्न करना होगा जो निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना के पदनाम से निर्गत एवं पटना में भुगतेय होगा।

5. निविदाकर्ता तकनीकी बिड एवं वित्तीय बिड अलग-अलग लिफाफे में समर्पित करेंगे तथा उसपर तकनीकी बिड अथवा वित्तीय बिड जो भी हो, लिखेंगे तथा उसे सीलबंद कर अपना नाम, पता लिखेंगे। पुनः उन दोनों लिफाफों (तकनीकी एवं वित्तीय बिड) को एक मुख्य बड़े लिफाफे में रखकर सीलबंद कर उसपर भी अपना नाम, पता अवश्यक लिखेंगे। निविदाकर्ता मुख्य बड़े लिफाफे पर “फुड काउन्टर के लिए निविदा” अवश्य अंकित करेंगे और अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में निर्धारित समय सीमा (22-02-2021 को 4.00 बजे अपराह्न तक) के भीतर निविदा बक्सा में डालेंगे।

6. निविदाकर्ता अपनी तकनीकी बिड के साथ रुपये 50,000/- (रु० पचास हजार) की सत्यंकार राशि जमा करेंगे। यह सत्यंकार राशि राष्ट्रीयकृत बैंक के बैंक ड्राफ्ट के रूप में निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना के पदनाम से निर्गत एवं पटना में भुगतेय होना चाहिये। तकनीकी बिड के साथ सत्यंकार राशि नहीं रहने पर निविदा अस्वीकृत कर दी जायेगी।

7. निविदाकर्ता को पैन/टैन का निबंधन होना आवश्यक है। वे अपनी तकनीकी बिड के साथ विगत दो वर्षों (वर्ष 2018–19 एवं 2019–20) का आयकर रिटर्न का स्वःहस्ताक्षरित छायाप्रति संलग्न करेंगे।

8. निविदाकर्ता को G.S.T. / Service Tax का निबंधन होना चाहिए। निविदाकर्ता अपनी तकनीकी बिड के साथ G.S.T. / Service Tax निबंधन की स्वःहस्ताक्षरित छायाप्रति संलग्न करेंगे तथा अद्यतन वार्षिक सेल्स टैक्स रिटर्न की स्वःहस्ताक्षरित छायाप्रति संलग्न करेंगे।

9. निविदाकर्ता अपनी तकनीकी बिड के साथ खाद्य संरक्षा विभाग, बिहार सरकार से पंजीकृत संचालित विधिवत निबंधित होटल/ निबंधित रेस्तराँ/ निबंधित फुड काउन्टर का स्वःहस्ताक्षरित प्रमाण—पत्र की छायाप्रति जमा करेंगे जिसका वार्षिक टर्नओवर कम से कम 5.00 लाख (पाँच लाख) रूपया होना चाहिए।

10. विधिवत निबंधित होटल/ निबंधित रेस्तराँ/ निबंधित फुड काउन्टर चलाने का अनुभव रखने वाले निविदाकर्ता को प्राथमिकता दी जाएगी। यदि किसी फर्म के नाम पर निविदा समर्पित किया जाता है तो फर्म के द्वारा निविदाकर्ता को प्राधिकृत किया जाना आवश्यक होगा। निविदाकर्ता इस प्राधिकार—पत्र को तकनीकी बिड के साथ मूलरूप में समर्पित करेंगे।

11. निविदाकर्ता को तकनीकी बिड के साथ निम्नांकित कागजातों को समर्पित करना अनिवार्य होगा:—

- (I) निविदा प्रपत्र क्रय करने का प्रमाण (रसीद की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति)।
- (II) यदि निर्धारित प्रपत्र एवं शर्त वेबसाईट से डाउनलोड कर निविदा समर्पित किया जा रहा है तो निविदा प्रपत्र की राशि के रूप में ₹० 2000/- (दो हजार रूपये) का निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना के पदनाम से निर्गत एवं पटना में भुगतेय मूल डिमांड ड्राफ्ट।
- (III) निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना के पदनाम से निर्गत एवं पटना में भुगतेय सत्यंकार राशि के रूप में ₹० 50,000/- (पचास हजार रूपये) का राष्ट्रीयकृत बैंक का मूल डिमांड ड्राफ्ट।
- (IV) पैन/टैन के निबंधन का स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति। विगत दो वर्षों (वर्ष 2018–19 एवं 2019–20) का आयकर रिटर्न की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति। (*)
- (V) G.S.T. से निबंधन का स्वहस्ताक्षरित अभिप्रमाणित प्रति। (*)
- (VI) निविदाकर्ता द्वारा अद्यतन वार्षिक जी०एस०टी० रिटर्न की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति। (*)
- (VII) ESI & EPF से निबंधन तथा विगत वार्षिक रिटर्न का स्वहस्ताक्षरित अभिप्रमाणित प्रति। (*)
- (VIII) FSSAI से निबंधन का स्वःहस्ताक्षरित अभिप्रमाणित प्रति। (*)
- (IX) निविदा समर्पित करने के लिए योग्यता एवं रूपरेखा अर्थात् अनुभव, वर्तमान में कहाँ और किस प्रकार के विधिवत निबंधित होटल / निबंधित रेस्तराँ / निबंधित फुड काउन्टर के संचालक हैं और कबसे संचालित कर रहे हैं और उनके होटल / रेस्तराँ / फुड काउन्टर में कौन—कौन सी सामग्री बेची जा रही है, इत्यादि से संबंधित विवरणी एवं प्रमाण—पत्र की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति तथा जैविक उद्यान में फुड काउन्टर संचालन के संबंध में एक विस्तृत योजना समर्पित करेंगे।
- (X) खाद्य संरक्षा विभाग, बिहार सरकार से पंजीकृत संचालित विधिवत निबंधित होटल / निबंधित रेस्तराँ / निबंधित फुड काउन्टर का स्वहस्ताक्षरित प्रमाण—पत्र की छायाप्रति जिसका वार्षिक टर्नओवर कम से कम 5.00 लाख (पाँच लाख) रूपया हो।

- (xi) फर्म के नाम पर निविदा समर्पित करने की स्थिति में निविदाकर्ता के लिए फर्म का प्राधिकार—पत्र की मूलप्रति।
- (xii) पहचान—पत्र तथा पता संबंधी प्रमाण—पत्र की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति।
- (xiii) सरकारी/गैर सरकारी संस्थान के काली सूची में निविदाकर्ता का नाम दर्ज होने/ न होने संबंधी घोषणा—पत्र।
- नोट:- (*) निविदा खोलने के समय स्वहस्ताक्षरित/अभिप्रमाणित छायाप्रति की मूलप्रति निविदाकर्ता को दिखाना होगा। अन्यथा तकनीकी बिड़ को अस्वीकृत कर दिया जायेगा।

12. निविदाकर्ता अपने वित्तीय बिड़ के प्रपत्र में प्रतिमाह उद्यान को दी जाने वाली राशि अंक एवं शब्द दोनों में साफ—साफ लिखेंगे। यदि किसी विशेष परिस्थितिवश निविदाकर्ता द्वारा राशि को बदला जाता है तो पूर्व में अंकित राशि को हस्ताक्षर सहित पेन (कलम) से एक बार में काटकर पुनः साफ—साफ अंक एवं शब्द में लिख सकते हैं, परन्तु किसी भी परिस्थिति में ओवर राईटिंग मान्य नहीं होगा। एक से अधिक दर अंकित करने की स्थिति में निविदा अस्वीकृत कर दिया जायेगा।

13. सफल निविदाकर्ता को कोविड-19 संक्रमण के संदर्भ में भारत सरकार, गृह मंत्रालय द्वारा निर्गत आदेश दिनांक 27-01-2021 का पूर्णरूपेण पालन करना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त भारत सरकार/राज्य सरकार के द्वारा समय—समय पर निर्गत आदेशों का भी पालन करना अनिवार्य होगा।

14. सफल निविदाकर्ता अपने काउन्टर के सामने के प्लेटफार्म का उपयोग ग्राहकों के बैठने के लिए कर सकते हैं। उपरी तल पर इनका न तो कोई अधिकार होगा और न ही वे इसका उपयोग करेंगे।

15. सफल निविदाकर्ता को निविदा की स्वीकृति की तिथि के एक सप्ताह के अन्दर ₹० 1000/- (एक हजार रुपये) के नन्-जूडिशियल स्टाम्प पेपर स्वंय लाकर एकरारनामा (एग्रीमेंट) पर हस्ताक्षर करना होगा।

16. निविदा की स्वीकृति की तिथि के एक सप्ताह के अन्दर जमानत की राशि के रूप में निविदा राशि की पूरे वर्ष की राशि की 25% (पचीस प्रतिशत) राशि जमा करना होगा जो राष्ट्रीयकृत बैंक के एस०टी०डी०आर०/टी०डी०आर० के रूप में होगा एवं निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना के पदनाम में प्लेज्ड होना चाहिए। जमानत राशि के रूप में बैंक गारंटी मान्य नहीं होगा।

17. एकरारनामा पर हस्ताक्षर करने, जमानत राशि एवं एक माह का अग्रिम राशि (मासिक रेंट) जमा करने के उपरान्त ही सफल निविदाकर्ता को काउन्टरों के संचालन की अनुमति दी जायेगी। यदि सफल निविदाकर्ता जमानत की राशि तथा एक माह का अग्रिम राशि निर्धारित समय (एक सप्ताह के भीतर) तक जमा करने एवं एकरारनामा पर हस्ताक्षर करने में विफल रहते हैं तो उनके द्वारा जमा की गयी अग्रधन/सत्यंकार राशि राज्यसात कर ली जायेगी तथा निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना को यह अधिकार होगा कि भविष्य में उद्यान के किसी भी निविदा में भाग लेने से उन्हें वंचित कर दें।

18. निविदाकर्ता को प्रत्येक माह का किराया अगले माह के 10 तारीख तक भुगतान करना अनिवार्य होगा अन्यथा 10 तारीख के बाद भुगतान करने पर 3% वृद्धात्मक (incremental) शुल्क के साथ भुगतान करना होगा। दो माह तक लगातार किराया जमा नहीं किए जाने की स्थिति में सफल निविदाकर्ता द्वारा जमा की गई प्रतिभूति राशि/जमानत राशि को राज्यसात करने तथा कृ०पृ०उ०

निविदाकर्ता को कृष्णचिन्हित करने का अधिकार निदेशक, संजय गांधी जैविक उद्यान, पटना को होगा। इसके अतिरिक्त यदि सफल निविदाकर्ता (संचालक) के विरुद्ध सरकार का कोई बकाया रह जाता है तो नीलाम—पत्र मुकदमा दर्ज कर ब्याज सहित राशि की वसूली की कार्रवाई की जायेगी। उक्त निर्णय से होने वाले क्षति की जिम्मेवारी सफल निविदाकर्ता की होगी।

19. सफल निविदाकर्ता, निविदा अवधि (दो वर्ष) के बीच में बिना कोई ठोस कारण के आवंटन रद्द कराने अथवा संचालन करने से इंकार नहीं कर सकेंगे। यदि सफल निविदाकर्ता/संचालक द्वारा किसी अन्य कारणवश आवंटन रद्द कराने तथा संचालन करने से इंकार किया जाता है तो वैसी परिस्थिति में संचालक को कम से कम दो माह का पूर्व/अग्रिम सूचना निदेशक, संजय गांधी जैविक उद्यान, पटना को देना बाध्यकारी होगा। वैसी परिस्थिति में संचालक द्वारा जमा प्रतिभूति राशि/जमानत राशि की विमुक्ति पर निविदा समिति द्वारा निर्णय लिया जायेगा जो अन्तिम होगा तथा संबंधित संचालक के लिए बाध्यकारी होगा।

20. आवंटित फुड काउन्टर्स में बदलाव, मरम्मती, पुनर्निर्माण या अन्य कारणों से संवेदक को एक माह के नोटिस पर आवंटित काउन्टर को बंद करने का अधिकार निदेशक, संजय गांधी जैविक उद्यान, पटना को होगा। वैसी परिस्थिति में संचालक को बंद अवधि का रेंट नहीं देना होगा।

21. सभी वैधानिक करों यथा आयकर, सेवा कर, जी.एस.टी. इत्यादि/देयताओं का भुगतान सफल निविदाकर्ता को अलग से अपने स्तर से करना होगा जिसकी जिम्मेवारी निविदाकर्ता की होगी। इससे संबंधित त्रैमासिक रिटर्न की प्रति सफल निविदाकर्ता को निदेशक, संजय गांधी जैविक उद्यान, पटना के कार्यालय में जमा करना होगा।

22. सफल निविदाकर्ता फुड काउन्टरों में सामग्रियों की बिक्री उद्यान में दर्शकों के लिए निर्धारित दर्शन अवधि में ही करेंगे। प्रत्येक सोमवार को उद्यान बंद रहता है। अतः सफल निविदाकर्ता को प्रत्येक सोमवार को फुड काउन्टर बंद रखना होगा। इसके अतिरिक्त विशेष परिस्थितिवश यदि उद्यान बंद किया जाता है तो बिना किसी हर्जाना के सफल निविदाकर्ता को फुड काउन्टर बंद रखना होगा।

23. सफल निविदाकर्ता के कोई भी कर्मचारी रात्रि में फुड काउन्टरों में नहीं रहेंगे। माह अप्रैल से सितम्बर तक प्रातः 7.00 बजे पूर्वाहन से 7.00 बजे अपराह्न तक तथा माह अक्टूबर से मार्च तक प्रातः 7.00 बजे पूर्वाहन से 6.00 बजे अपराह्न तक फुड काउन्टर खुला रहेगा।

24. सफल निविदाकर्ता अधिकतम 10 (दस) व्यक्तियों को काउन्टरों के संचालक एवं ग्राहकों को सामग्री देने, साफ—सफाई हेतु रख सकते हैं। सफल निविदाकर्ता, उन सभी व्यक्तियों का, जो उनके द्वारा रखे जायेंगे, उनका पूरा पता, फोटो सहित पहचान—पत्र दो प्रतियों में, निदेशक, संजय गांधी जैविक उद्यान, पटना के कार्यालय में जमा करेंगे तथा उनकी पहचान के लिए सफल निविदाकर्ता अपने स्तर से उन्हें वर्दी देंगे जिसपर उनका नेमप्लेट लगा रहेगा। बिना वर्दी के उनके किसी भी कर्मी को उद्यान के अन्दर प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

25. सफल निविदाकर्ता को फुड काउन्टरों पर किए गए बिजली खपत का भुगतान एच.टी. कनेक्शन के दर के अनुरूप अलग से प्रत्येक माह की 5 तारीख तक करना अनिवार्य होगा अन्यथा बिजली आपूर्ति बंद कर दी जायेगी जिसके लिए सफल निविदाकर्ता स्वयं जिम्मेवार होंगे। बिजली खपत का भुगतान राष्ट्रीयकृत बैंक से केवल बैंक ड्राफ्ट के रूप में 'साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं० लिं० के नाम में करना होगा।

26. संचालक को ग्राहकों के लिए निःशुल्क स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा। इसके लिए वे अपने खर्च पर एकवागार्ड लगायेंगे तथा शीशे अथवा कागज का बना गिलास का ही उपयोग करेंगे।

27. संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना एक 'पॉलीथीन निषिद्ध' क्षेत्र है। अतः सफल निविदाकर्ता, ग्राहकों को सामग्री की आपूर्ति के लिए पॉलीथीन, थर्मोकोल/स्टैरोफोम के प्लेट्स, ग्लास इत्यादि का प्रयोग नहीं करेंगे। धोने वाले किसी बर्तन, थाली, प्लेट्स का उपयोग नहीं करेंगे। जो भी प्लेट का उपयोग करेंगे वह डिस्पोजिबुल प्लेट (disposable plates) होना चाहिए ताकि किसी भी प्लेट को धोने की आवश्यकता न पड़े।

28. सफल निविदाकर्ता फुड काउन्टर/जू कैफेटेरिया में बेचे जाने वाले कोई भी खाद्य सामग्री उद्यान में नहीं बनायेंगे एवं न ही पकायेंगे और न ही चूल्हा/गैस चूल्हा जलायेंगे। खाद्य सामग्रियाँ केवल बाहर से बनवा/पकवा कर लायेंगे। खाद्य सामग्रियों की बिक्री इको-फ्रेंडली सामानों में करेंगे। बाहर से लाये गये रेडीमेड खाद्य सामग्रियों को इलेक्ट्रिकल ओवेन (electrical /Induction oven) में गर्म करने की अनुमति होगी। जूस, काफी बनाने के लिए इलेक्ट्रिक मशीन का उपयोग कर सकते हैं परन्तु इसकी भी बिक्री कागज के ग्लास में करने की अनुमति होगी।

29. सफल निविदाकर्ता, फुड काउन्टर पर सूची दर लगायेंगे जिसमें सामग्री का नाम, उसका आकार एवं मात्रा तथा दर अंकित रहेगा। साथ ही उसपर उद्यान के पदाधिकारियों का मोबाइल नम्बर एवं निदेशक कार्यालय का दूरभाष नम्बर, ई-मेल सहित, ग्राहकों/दर्शकों की सुविधा के लिए प्रदर्शित किया जायेगा। फुड काउटरों पर बिक्री किए जाने वाले सामग्रियों के गुणवत्ता की जाँच किसी क्षण उद्यान के उप निदेशक की अध्यक्षता में गठित टीम के द्वारा किया जा सकता है। सामग्रियों की गुणवत्ता, साफ-सफाई इत्यादि में किसी तरह की कमी पाये जाने पर सफल निविदाकर्ता आर्थिक दंड के भागी होंगे जो अधिकतम 5000/- रुपये तक हो सकता है। ऐसी गलती दोहराये जाने पर अधिकतम 10,000/- रुपये तक अर्थदंड लगाया जा सकता है।

30. संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना में मांसाहारी एवं मादकपेय की बिक्री वर्जित है, अतः सफल निविदाकर्ता मांसाहारी एवं मादकपेय की बिक्री नहीं करेंगे। सफल निविदाकर्ता को काउन्टर से बेचे जाने वाले सभी सामग्रियों का दर, सामग्रियों की मात्रा/आकार, सामग्री का वजन जो मान्य हो, निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना से अनुमोदित कराना अनिवार्य होगा। संचालक द्वारा खाद्य सामग्रियों की बिक्री औसत बाजार दर पर की जायेगी जिसके दर का निर्धारण निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना द्वारा गठित समिति के अनुशंसा पर निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना द्वारा किया जायेगा। निर्धारित दर एवं आकार/विशिष्टियाँ से भिन्न खाद्य सामग्रियों की बिक्री करते पाये जाने पर निविदा रद्द करने एवं जमानत राशि को राज्यसात करने का अधिकार निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना को सुरक्षित रहेगा।

31. सफल निविदाकर्ता को उद्यान में प्रतिबंधित सामग्री यथा बीड़ी, सिगरेट, खैनी, मांस, मछली एवं मदिरा की बिक्री नहीं करनी होगी। संचालक एवं उनके कर्मियों के द्वारा इसकी बिक्री या सेवन करते हुए पाये जाने पर उनके विरुद्ध सभी विधिसम्मत कार्रवाई निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना द्वारा की जायेगी।

32. सफल निविदाकर्ता को कम्पनी के खाद्य पदार्थ, सीलबंद सामग्री केवल एम.आर.पी. पर ही बेचने की अनुमति होगी। बेचे जाने वाले सामानों के लिए ग्राहकों को रसीद देना अनिवार्य होगा। सरकार द्वारा प्रतिबंधित खाद्य पदार्थ की बिक्री नहीं करनी होगी। ग्राहकों को

उचित रसीद निर्गत नहीं करने की स्थिति में सुसंगत वैधानिक प्रावधानों के तहत दंडात्मक कार्रवाई हेतु अनुशंसा करते हुए निविदा को रद्द करने का अधिकार निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना को होगा।

33. फुड काउन्टर्स अथवा उसके आसपास के परिसर में किसी कम्पनी इत्यादि का प्रचार सामग्री लगाना या बढ़ावा देना वर्जित होगा। काउन्टर पर कार्यरत सफल निविदाकर्ता के कर्मियों को शोर-हल्ला करना वर्जित होगा। ग्राहकों के साथ शिष्टाचार का व्यवहार करना उनका प्रथम कर्तव्य होगा। वे उद्यान के नियमों के विरुद्ध कार्य नहीं करेंगे।

34. सफल निविदाकर्ता को उनके खर्च पर कम से कम आठ कूड़ादान (डस्टबिन) रखना अनिवार्य होगा जिसकी सफाई प्रत्येक दिन दर्शन अवधि के उपरान्त संध्या में करना अनिवार्य होगा। किसी भी परिस्थिति में एक दिन का कूड़ा, अगले दिन के दर्शन अवधि शुरू होने तक नहीं रखना होगा। कूड़ा-कचरा को फुड काउन्टर की नाली में नहीं फेंकना होगा। सफल निविदाकर्ता को काउन्टर परिसर एवं उसके आस-पास के स्थल में खाद्य सामग्री के बर्तन (जिसमें उद्यान के बाहर से खाद्य सामग्री लाये जाते हैं, फुड काउन्टर में भंडारित किए जाते हैं तथा जिसमें रखकर बेचे जाते हैं) को धोना वर्जित होगा।

35. सफल निविदाकर्ता को फुड काउन्टर परिसर एवं उसके आस-पास के स्थल को साफ-सुथरा (स्वच्छ एवं स्वस्थ) तथा बदबूरहित रखना होगा। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो आर्थिक दंड के भागी होंगे एवं इसके संबंध में निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना, द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम होगा एवं निविदाकर्ता को मान्य होगा।

36. निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना, को अधिकार होगा कि निविदा की शर्तों के उल्लंघन के आरोप में अथवा एक माह के अग्रिम सूचना पर बिना कारण बताये सफल निविदा को रद्द कर सकते हैं।

37. यदि सफल निविदाकर्ता द्वारा उपरोक्त शर्तों के किसी कंडिका का उल्लंघन किया जाता है तो वैसी स्थिति में आवश्यक जाँचोपरान्त निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना को अधिकार होगा कि वे सफल निविदाकर्ता को एक सप्ताह के समय का नोटिस देकर उनके जमानत/प्रतिभूति राशि को राज्यसात कर लें तथा काउन्टर को बंद करा दें।

38. निदेशक को यह अधिकार सुरक्षित रहेगा कि जब आवश्यकता होगी वे किसी भी खाद्य सामग्री की बिक्री को पूर्णतः या अंशतः सीमित अवधि के लिये बंद कर सकेंगे।

39. निदेशक द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारियों को फुड काउन्टरों पर बेचे जा रहे सामग्री की मात्रा, गुणवत्ता, दर, ग्राहकों के साथ व्यवहार, डिस्पोजिबुल प्लेट/ग्लास (disposable plates/glass) की उपयोगिता की स्थिति, परिसर की स्वच्छता का औचक निरीक्षण किसी भी क्षण किया जा सकता है।

40. निविदा की सामान्य अवधि 01-03-2021 से 28-02-2023 (दो वर्ष) है, परन्तु अत्यंत विशेष परिस्थिति में निविदाकर्ता के संतोषप्रद संचालन को देखते हुए दोनों पक्षों की सहमति से तीन माह तक अवधि विस्तार किया जा सकता है।

41. किसी भी विवाद का निपटारा का न्याय क्षेत्र पटना होगा।

42. निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना, को बिना कारण बताये किसी या सभी निविदा को अस्वीकृत करने का अधिकार सुरक्षित है।

निदेशक।

दिनांक 01-03-2021 से 28-02-2023 (दो वर्ष) तक संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना की पुरानी झील के निकट अवस्थित मध्यूर रेस्टरॉन के ग्राउन्ड फ्लोर (निचले तल्ले) पर स्थित दो फुड़ काउन्टरों को एक इकाई (यूनिट) के रूप में संचालन के लिए बन्दोबस्ती हेतु

तकनीकी बिड़

क्रमांक	तकनीकी सूचना	निविदाकर्ता द्वारा समर्पित सूचना पृष्ठ संख्या
1	निविदा प्रपत्र क्रय का मनी रसीद की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति।	
2	यदि निर्धारित प्रपत्र एवं शर्त वेबसाईट से डाउनलोड कर निविदा समर्पित किया जा रहा है तो टेन्डर प्रपत्र की राशि के रूप में निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना, के पदनाम में ₹० 2000/- (दो हजार) का डिमांड ड्राफ्ट।	
3	निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना, के पदनाम में ₹० 50,000/- (रुपये पचास हजार) के अग्रधन राशि (सत्यंकार राशि) का राष्ट्रीयकृत बैंक का ड्राफ्ट।	
4	पैन/टैन के निबंधन का स्वःहस्ताक्षरित छायाप्रति। निविदाकर्ता विगत दो वर्षों (वर्ष 2018-19 एवं 2019-20) का आयकर रिटर्न की स्वःहस्ताक्षरित छायाप्रति।	
5	G.S.T. से निबंधन का स्वःहस्ताक्षरित अभिप्रामाणित प्रति।	
6	निविदाकर्ता अद्यतन वार्षिक जी.एस.टी. रिटर्न की स्वःहस्ताक्षरित छायाप्रति।	
7	ESI & EPF से निबंधन तथा विगत वार्षिक रिटर्न का स्वःहस्ताक्षरित अभिप्रामाणित प्रति।	
8	FSSAI से निबंधन का स्वःहस्ताक्षरित अभिप्रामाणित प्रति।	
9	कार्य अनुभव। जैविक उद्यान में फुड़ काउन्टर संचालन के संबंध में एक विस्तृत योजना तथा बेचे जाने वाले खाद्य सामग्रियों की सूची।	
10	खाद्य संरक्षा विभाग, बिहार सरकार से पंजीकृत संचालित विधिवत निबंधित होटल / निबंधित रेस्टरॉन / निबंधित फुड़ काउन्टर का स्वःहस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र की छायाप्रति जिसका वार्षिक टर्नओवर कम से कम 5.00 लाख (पाँच लाख) रुपया हो।	
11	फर्म के नाम पर निविदा समर्पित करने की स्थिति में निविदाकर्ता के लिए फर्म का प्राधिकार-पत्र की मूलप्रति।	
12	पहचान-पत्र तथा पता संबंधी प्रमाण-पत्र की स्वःअभिप्रामाणित छायाप्रति।	
13	सरकारी / गैर सरकारी संस्थान के काली सूची में निविदाकर्ता का नाम दर्ज होने / न होने संबंधी घोषणा-पत्र।	

नोट:- मांगी गई सभी प्रपत्र का विवरण क्रमवार एवं पृष्ठ सं० के साथ अवश्य अंकित करें।

निविदाकर्ता का हस्ताक्षर एवं पता

दिनांक 01–03–2021 से 28–02–2023 (दो वर्ष) तक संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना की पुरानी झील के निकट अवस्थित मयूर रेस्टराँ के ग्राउन्ड फ्लोर (निचले तल्ले) पर स्थित दो फुड काउन्टरों को एक इकाई (यूनिट) के रूप में संचालन के लिए बन्दोबस्ती हेतु

वित्तीय बिड

प्रेषक,

नामः—

पिता का नामः—

पत्राचार का पता:-

दूरभाष / मोबाइल संख्या—

सेवा में,

निदेशक,

संजय गाँधी जैविक उद्यान,

पटना।

महाशय,

संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना की पुरानी झील के निकट अवस्थित **मयूर रेस्टराँ** के ग्राउन्ड फ्लोर (निचले तल्ले) पर स्थित दो फुड काउन्टरों को एक इकाई (यूनिट) के रूप में दिनांक 01–03–2021 से 28–02–2023 (दो वर्ष) तक संचालन के लिए मैं रूपये.....(अंक में) (रूपये.....) (शब्द में) प्रतिमाह का दर अर्पित कर रहा हूँ।

2— उक्त पते पर जो भी पत्राचार किया जाएगा, मुझे स्वीकार्य होगा।

3— यदि मेरा निविदा स्वीकार किया जाता है तो मैं निविदा शर्त की कंडिका 16 के अनुसार पूरे एक वर्ष के रेंट (किराया) की 25% (पच्चीस प्रतिशत) राशि प्रतिभूति/जमानत राशि के रूप में जमा करूँगा।

4— मैंने निविदा के सभी शर्तों को पढ़ा/पढ़वाया और समझा है तथा मैं सभी शर्तों को स्वीकार करता हूँ।

आपका विश्वासी,

घोषणा—पत्र

मैं पिता का नाम.....

.....ग्राम..... पो० थाना..... जिला.....

.....घोषणा करता हूँ कि मैं

.....(विभाग/कार्यालय का नाम) में से

अवधि तक के लिए निबंधित होटल / निबंधित रेस्तराँ/ निबंधित फुड काउन्टर का संचालन किया है तथा उस विभाग/कार्यालय द्वारा मुझे कृष्णचिन्हित किया/नहीं किया गया है।

निविदाकर्ता का हस्ताक्षर

तिथि:—